01/सा0सु0 योजना (जीवन प्रमाणीकरण)–01/2019– 2398

बिहार सरकार

समाज कल्याण विभाग

(सामाजिक सुरक्षा निदेशालय)

–: संकल्प :–

पटना, दिनांक– 04.10.25

विषय :– **सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के पेंशनधारियों का आधार आधारित जीवन प्रमाणीकरण हेतु नामांकन के आधार पर गैर–परामर्शी सेवाओं की अधिप्राप्ति हेतु कॉमन सर्विस सेन्टर ई–गवर्नेन्स सर्विसेस इंडिया लिमिटेड के चयन की स्वीकृति।**

राज्य सरकार द्वारा वृद्धजनों, विधवाओं एवं दिव्यांगजनों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए छः पेंशन योजनाओं, यथा– इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय निःशक्तता पेंशन योजना, लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, बिहार निःशक्तता पेंशन योजना एवं मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

2. सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के मृत पेंशनधारियों को चिन्हित करते हुए इसे ई–लाभार्थी पोर्टल के डाटाबेस में अपडेट करने हेतु वार्षिक जीवन प्रमाणीकरण कराये जाने की आवश्यकता है, ताकि मृत पेंशनधारियों के बैंक खाता में राशि अंतरित न हो सके।

3. आधार आधारित जीवन प्रमाणीकरण की तकनीकी क्षमता एवं राज्य के दूर–दराज तथा ग्रामीण क्षेत्रों में इसके वृहत नेटवर्क को देखते हुए सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के पेंशनधारियों के आधार आधारित जीवन प्रमाणीकरण हेतु बिहार वित्त (संशोधन) नियमावली–2024 के नियम–131ज्ञ(त) एवं वित्त विभागीय संकल्प संख्या–12888 दिनांक–03.12.2024 के प्रावधानों के आलोक में नामांकन के आधार पर कॉमन सर्विस सेन्टर ई–गवर्नेन्स सर्विसेस इंडिया लिमिटेड को चयनित किया जाता है।

4. सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारियों के सफल जीवन प्रमाणीकरण के लिए कॉमन सर्विस सेन्टर ई–गवर्नेन्स सर्विसेस इंडिया लिमिटेड को विभाग द्वारा रू0 5/– (पाँच) प्रति पेंशनधारी की दर से सेवा शुल्क का भुगतान किया जायेगा।

5. कॉमन सर्विस सेन्टर ई–गवर्नेन्स सर्विसेस इंडिया लिमिटेड के माध्यम से जीवन प्रमाणीकरण हेतु विस्तृत दिशा–निर्देश अलग से विभाग द्वारा निर्गत किया जायेगा।

6. प्रस्ताव पर संचिका सं0–01/सा0सु0 योजना (जीवन प्रमाणीकरण)–01/2019 के टिप्पणी पृष्ठ 136/टि0 पर दिनांक–03.10.2025 को मद सं0–38 में मंत्रिपरिषद की स्वीकृति प्राप्त है।

आदेश :– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सर्वसाधारण की जानकारी हेतु बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

04/x/25

(नवीन कुमार सिंह)
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक–01/सा0सु0 योजना (जीवन प्रमाणीकरण)–01/2019–2398 पटना, दिनांक–04.10.25

प्रतिलिपि :– प्रभारी पदाधिकारी, ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी (सी0डी0 सहित) राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

04/x/25

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक–01/सा0सु0 योजना (जीवन प्रमाणीकरण)–01/2019–2398 पटना, दिनांक–04.10.25

प्रतिलिपि :– महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, वीरचंद पटेल मार्ग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

04/x/25

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक–01/सा0सु0 योजना (जीवन प्रमाणीकरण)–01/2019–2398 पटना, दिनांक–04.10.25

प्रतिलिपि :– मुख्य सचिव, बिहार/विकास आयुक्त, बिहार/माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष/निदेशक, सामाजिक सुरक्षा निदेशालय/निदेशक, आई0सी0डी0एस0 निदेशालय/निदेशक, समाज कल्याण निदेशालय/निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय/सचिव, समाज कल्याण विभाग के आप्त सचिव/वित्त विभाग (बजट शाखा)/संयुक्त सचिव, समाज कल्याण विभाग (योजना एवं बजट शाखा), बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

04/x/25

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक–01/सा0सु0 योजना (जीवन प्रमाणीकरण)–01/2019–2398 पटना, दिनांक–04.10.25

प्रतिलिपि :– सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप निदेशक, सामाजिक सुरक्षा/सभी सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग एवं सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

04/x/25

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक–01 / सा0सु0 योजना (जीवन प्रमाणीकरण)–01 / 2019– 2398 पटना, दिनांक– 04.10.25

प्रतिलिपि :– आई0टी0मैनेजर, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

ह0/– 04/X/25

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक–01 / सा0सु0 योजना (जीवन प्रमाणीकरण)–01 / 2019– 2398 पटना, दिनांक–04.10.25

प्रतिलिपि :– राज्य प्रमुख, कॉमन सर्विस सेन्टर ई–गवर्नेन्स सर्विसेस इंडिया लिमिटेड, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/– 04/X/25

सरकार के अपर सचिव।